सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

मैनुअल – 3

निर्णय करने की प्रक्रिया (परिवेक्षण एवं उत्तरदायित्व सहित)

(The Procedure Followed in the Decision Making Process, Including Channels of Supervision and Accountability)

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड,

जिला पंचायत परिसर, धारानौला, अल्मोड़ा

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड में निर्णय लेने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व सहित)

(The Procedure Followed in the Decision Making Process, Including Channels of Supervision and Accountability)

उत्तराखण्ड राज्य में चाय विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए चाय उत्पादन के समुचित विकास, वित्तीय व्यवस्था, निवेश एवं संयंत्र आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पूर्व संचालित चाय विकास परियोजना को समस्त चल–अचल सम्पत्ति सहित समाहित करते हुए शासनादेश संख्या–159/व0ग्र0वि0/उद्यान/338/2003 दिनांक 11–02–2004 द्वारा उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड का गठन किया गया। **बोर्ड गठन का शासनादेश संलग्न है।**

उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या–1031/XVI–2/17/01(17)/ 2017 दिनांक 004 दिसम्बर, 2017 से उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड के प्रबन्ध परिषद का पुनर्गठन कर निम्न विवरणानुसार सदस्य नामित किये गये हैः–

1– कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2– सचिव/अपर सचिव, उद्यान उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4– सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5– भारतीय चाय बोर्ड द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6– निदेशक, चाय शोध, गो0ब0पं0 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर, उधमसिंह नगर	सदस्य
7– निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मिशन, उत्तराखण्ड	सदस्य
8– राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के प्रतिनिधि	सदस्य
9– निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, उत्तराखण्ड	सदस्य सचिव
10– चाय के क्षेत्र में विशिष्ट अनुभव/ज्ञान युक्त दो व्यक्ति जो श्री राज्यपाल द्वारा नामित किये जाएं–गैर सरकारी	सदस्य

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड अपने कर्तब्यों और प्रयोजनार्थ उल्लिखित समस्त कृत्यों के लिए नीति निर्देशक सिद्धान्त बन सकेगा और उन अधिकारों का प्रयोग करेगा जो उन सिद्धान्तों की पूर्ति के लिए आवश्यक हों किन्तु ऐसे नीतिगत प्रकरण जो बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यापक क्षेत्र के लिए हों वे शासकीय अनुमोदन के लिए शासन को प्रेषित किये जाते हैं।

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड की नियमावली के अधीन बोर्ड के अधिकारियों, कर्मचारियों, वैज्ञानिकों और अन्य संवर्गो में नियुक्तियाँ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। बोर्ड के समस्त प्रकरण उसकी आय, चल एवं अचल संपत्ति एवं वित्तीय व्यवस्थायें बोर्ड की नियमावली एवं बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रबंधित, प्रशासित, निर्देशित एवं नियंत्रित होती है। निदेशक के अधिकार क्षेत्र से बाहर आने वाले वित्तीय एवं नीतिगत मामलों को प्रबन्ध परिषद की अनुमति से निदेशक द्वारा शासन को प्रेषित किया जाता है। इस प्रकार अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड के प्रबन्ध परिषद के अध्यक्ष एवं उत्तराखण्ड शासन को है।

– – – – –

उत्तरॉचल शासन,
उद्यान अनुभाग
संख्या /च.ग्रा.वि./338/2003
दिनॉकः देहरादूनः फरवरी , 2004

(55)

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरॉचल में चाय विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए चाय उत्पादन के समुचित विकास, वित्तीय व्यवस्था, निवेश एवं संयत्र आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वर्तमान में संचालित चाय विकास परियोजना को समस्त चल–अचल सम्पत्ति सहित समाहित करते हुए उत्तरॉचल चाय विकास बोर्ड के गठन की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं

1.उत्तरॉचल चाय विकास बोर्ड के मुख्य कार्यक्षेत्रः–

1.उत्तरॉचल के पुराने बागानों का जीर्णोद्धार एवं नये बागानों की स्थापना.
2.उत्तरॉचल में नये क्षेत्रों में चाय की खेती की सम्भावनाओं का सर्वेक्षण करना.
3.आधुनिकतम रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना.
4.स्थानीय लोगों एवं कास्तकारों को चाय के कृषिकरण में प्रशिक्षित करना तथा प्रोत्साहित करना.
5.निष्प्रयोज्य पड़ी भूमि में चाय प्लान्टेशन कर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना.
6.उत्तरॉचल में चाय के कृषिकरण से स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि करना एवं किसानों को कृषिकरण में सहायता प्रदान करना.
7.उत्तरॉचल चाय की गुणवत्ता निर्धारित करना (क्वालिटी कन्ट्रोल)
8.चाय के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य के मध्य समन्वय स्थापित करना.
9.निजी उद्यमियों को कास्तकारों की भूमि लीज पर लेकर चाय प्लान्टेशन हेतु उपलब्ध कराना.
10.फैक्ट्री स्थापित करने हेतु निजी उद्यमियों का आमंत्रित करना एवं फैक्ट्री स्थापित करवाना.
11.चाय की खेती के लिए सहकारी समितियों व स्वयं सहायता समूहों का गठन कर चाय विकास को बढ़ावा देना.
12.चाय की खेती को जैविक खेती के रूप में विकसित करने के लिए सर्वेक्षण, प्रचार–प्रसार एवं इस हेतु स्थानीय कास्तकारों/ उद्यमियों को प्रोत्साहित करना.
13.कास्तकारों से लीज में ली गई भूमि में चाय बागान विकसित कर भू स्वामियों को इनके संचालन हेतु उपलब्ध करवाना.
14.चाय विकास से सम्बन्धित अभिलेखों एवं साहित्य का प्रकाशन/ डाक्यूमेन्टेशन, सूचना एवं जन सम्पर्क, प्रशिक्षण आदि कार्यवाही सम्पन्न करना.

(54)

2..बोर्ड के वित्तीय श्रोतः—

1.उत्तरॉचल चाय विकास बोर्ड का कार्य मुख्य रूप से प्रदेश में चाय उत्पादन का विकास करना होगा, अतः यह बोर्ड उत्तरॉचल शासन द्वारा देय अनुदान/राज सहायता के आधार पर संचालित होगा,

2.भारतीय चाय बोर्ड से प्राप्त अंशदान

3.निजी उद्यमियों को बोर्ड द्वारा विकसित चाय बागान हस्तान्तरित करने से प्राप्त आय.

4. बागानों से प्राप्त हरी पत्तियों से चाय तैयार कर विक्रय से आय

5. चाय पौध तैयार कर निर्धारित दरों में कास्तकारों को विक्रय करने से प्राप्त धनराशि.

6.चाय पौध उत्पादन, चाय बागान अनुरक्षण आदि क्षेत्र में कन्सालटेन्सी प्रदान कर कन्सालटेन्सी फीस प्राप्त करना.

3—बोर्ड का मुख्यालयः—बोर्ड का मुख्यालय,अल्मोड़ा होगा.

4. चाय परियोजना के कर्मचारियों/ अधिकारियों का समायोजनः

वर्तमान परियोजना हेतु स्वीकृत पदों के विपरीत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को पद सहित वर्तमान सेवा शर्तो के साथ बोर्ड में समायोजित कर लिया जायेगा, परियोजना के द्वारा एक चाय विषेशज्ञ डा. एम.वी. तमंग को अनुबन्ध पर रखा गया है. बोर्ड को डा. तमंग की सेवाओं की आवश्यकता होने पर प्रबन्ध कारिणी की संस्तुति पर पुनः अनुबन्ध पर रखा जा सकेगा, परियोजना द्वारा विभिन्न बागानों, नर्सरियों में जो स्टाफ अनुबन्ध/ संविदा पर रखा गया है, उनकी सेवाएँ यथावत बोर्ड में ले ली जायेगी तथा अग्रेतर इनकी सेवायें प्राप्त करने का निर्णय बोर्ड का रहेगा.

बोर्ड के अधीन समाहित होने में असहमति व्यक्त करने वाले कार्मिकों को यथास्थिति कुमाऊँ मण्डल विकास निगम की सहमति से प्रत्यावर्तित किये जाने पर विचार किया जायेगा.

5.बोर्ड के प्रबन्ध परिषद के सदस्यः—

बोर्ड के प्रबन्ध परिषद के निम्न सदस्य होगें:—

1.प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा/सचिव, उद्यान, उत्तरॉचल शासन	अध्यक्ष
2.अपर सचिव/ सॅयुक्त सचिव,उद्यान, उत्तरॉचल शासन	सदस्य
3.सचिव, वित्त विभाग, उत्तरॉचल शासन, देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो अपर सचिव स्तर से निम्न न हो.	सदस्य
4.सचिव,वन विभाग, उत्तरॉचल शासन, देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो अपर सचिव स्तर से निम्न न हो सदस्य	सदस्य
5.डा0एम0वी0तमंग,चाय,विशेषज्ञ,कौसानी,अल्मोड़ा	सदस्य
6.भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता, द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
7.श्री संजय बंसल,गैसर्स आर्केडिया,टी कम्पनी कोलकाता	सदस्य
8.श्री एस0पी0चौरसिया,प्रबन्ध निदेशक,गैसर्स देहरादून टी कम्पनी	सदस्य

9.निदेशक,चाय शोध पन्तनगर,विश्वविद्यालय, सदस्य
10.निदेशक/सामान्य प्रबन्धक, उत्तरॉचल चाय विकास बोर्ड सदस्य/सचिव
11.राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के प्रतिनिधि सदस्य

6.बोर्ड की संरचना:--

उत्तरॉचल चाय विकास बोर्ड की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट–1860 के अन्तर्गत किया जायेगा.

7. पूर्व में संचालित चाय परियोजना कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल विकास निगम के अन्तर्गत बोर्ड में समाहित होने वाले कार्मिकों की भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, अवकाश, वेतन आदि अन्य उपलब्धियों को नव गठित उत्तरॉचल चाय विकास बोर्ड को हस्तान्तरित किया जायेगा.

8. बोर्ड के कार्यो के संचालन हेतु यथा आवश्यकतानुसार अवस्थापनाओं एवं स्टाफ के सृजन का प्रस्ताव पृथक से शासन को प्रेषित किया जायेगा.

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,

संख्या:–159/व0ग्रा0वि0/उद्यान/338/2003/तददिनांक: 11-2-04

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

1– सामान्य प्रबन्धक,चाय,उत्तरॉचल चाय विकास परियोजना नैनीताल.
2– प्रबन्ध निदेशक,कुमॉऊ / गढवाल मण्डल विकास निगम,नैनीताल/देहरादून.
3– आयुक्त गढवाल /कुमॉऊ मण्डल, पौडी/नैनीताल.
4– समस्त जिलाधिकारी,उत्तरॉचल.
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी,अल्मोड़ा
6– प्रमुख सचिव, वित्त उत्तरॉचल शासन.
7– सचिव,नियोजन,उत्तरॉचल शासन.
8– अपर सचिव,गोपन,उत्तरॉचल शासन.
9– स्टाफ आफीसर,मुख्य सचिव,उत्तरॉचल शासन.
10–प्रमुख सचिव,मा0 मुख्यमंत्री,उत्तरॉचल
11–निजी सचिव,मा0 उद्यान मंत्री जी उत्तरॉचल.
12–निदेशक,उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तरॉचल चौबटिया रानीखेत.
13–निदेशक,कोषागार,उत्तरॉचल.
14–निदेशक,सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तरॉचल.
15–अध्यक्ष,भारतीय चाय बोर्ड, 14एम0बी0टी0–सरानी मार्ग,कोलकाता.
16–सहायक निदेशक,भारतीय चाय बोर्ड,होलीडे होम,अल्मोड़ा.
17– गार्ड फाईल.

आज्ञा/से

(एस0पी0सुबुद्धि)
संयुक्त सचिव

3

उत्तराखण्ड शासन
उद्यान एवं रेशम अनुभाग-2
संख्या-/03/ /XVI-2/17/01(17)/2003
देहरादूनः दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या-454/XVI-2/16/01(17)/2003, दिनांक 18 अप्रैल, 2016 द्वारा पुर्नगठित उत्तराखण्ड बांय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा की प्रबन्ध परिषद में आंशिक संशोधन करते हुए क्रमांक 1 पर अंकित अध्यक्ष के पद पर नामित अपर मुख्य सचिव, उद्यान के स्थान पर कृषि उत्पादन आयुक्त (APC) को अध्यक्ष नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उपरोक्त उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18 अप्रैल, 2016 द्वारा पुर्नगठित उत्तराखण्ड बांय विकास बोर्ड के प्रबन्ध परिषद के क्रमांक-1 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शेष यथावत् रहेगा।

(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव

संख्या- /03/ (1)/XVI-2/17/01(17)/2003, तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगण द्वारा- निदेशक, बांय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा।
2 आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3 प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4 निजी सचिव, मा. उद्यान मंत्री जी को मा. मंत्री जी के अवगतार्थ।
5 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6 स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7 प्रबन्ध निदेशक, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल विकास निगम, नैनीताल/देहरादून।
8 निदेशक, उत्तराखण्ड बांय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा।
9 निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, चौबटिया, रानीखेत।
10 निदेशक, कोषागार, देहरादून।
11 वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
12 निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
13 वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
14 अध्यक्ष, भारतीय बांय बोर्ड, 14 एम.बी.टी., राजनी मार्ग, कोलकाता।
15 सहायक निदेशक, भारतीय बांय बोर्ड, होलीडे होम, अल्मोड़ा।
16 सामान्य प्रबन्धक, बांय, उत्तराखण्ड बांय विकास परियोजना, नैनीताल।
17 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा. मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
उद्यान एवं रेशम अनुभाग–2
संख्या–454/XVI-2/16/01(17)/2003
देहरादून: दिनांक 18 अप्रैल,2016

संलग्नक-3 (232)

कार्यालय–ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या–392/XVI–2/15/01(17)/2003 दिनांक–09 अप्रैल 2015 द्वारा चाय विकास बोर्ड की प्रबन्ध परिषद के पुनर्गठन किया गया एवं तत्पश्चात उक्त कार्यालय ज्ञाप में आंशिक संशोधन करते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या–535/XVI–2/15/01(17)/2003 दिनांक–18 मई 2015 द्वारा उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड की प्रबन्ध परिषद में गढ़वाल मण्डल एवं कुमायूँ मण्डल हेतु एक–एक उपाध्यक्ष के पद का सृजन करते हुए उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड की प्रबन्ध परिषद का गठन किया गया।

2. अतः कार्यालय ज्ञाप संख्या–392/XVI–2/15/01(17)/2003 दिनांक 09 अप्रैल 2015 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–535/XVI–2/15/01(17)/2003 दिनांक–18 मई 2015 द्वारा गठित चाय विकास बोर्ड की प्रबन्ध परिषद विषयक आदेशों को अवक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय उक्त परिषद का पुर्नगठन निम्नवत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र.सं.	पदाधिकारी/सदस्य का नाम/ पदनाम	पद
1.	अपर मुख्य सचिव, उद्यान, उत्तराखण्ड शासन।	अध्यक्ष
2.	सचिव/अपर सचिव, उद्यान उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3.	सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो अपर सचिव के स्तर से निम्न न हों	सदस्य
4.	सचिव, वन उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो अपर सचिव के स्तर से निम्न न हो	सदस्य
5.	भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6.	निदेशक, चाय शोध गो0ब0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर, उधमसिंहनगर	सदस्य
7.	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मिशन उत्तराखण्ड	सदस्य
8.	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, उत्तराखण्ड	सदस्य सचिव
10.	चाय के क्षेत्र में विशिष्ट अनुभव/ज्ञान युक्त दो व्यक्ति जो श्री राज्यपाल द्वारा नामित किये जाएं– गैर सरकारी	सदस्य

3. उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप संख्या–392/XVI–2/15/01(17)/2003 दिनांक–09 अप्रैल 2015 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–535/XVI–2/15/01(17)/2003 दिनांक–18 मई 2015 उक्तवत प्रतिस्थापित सीमा तक ही संशोधित समझा जाय तथा शेष सभी शर्तें/दिशा–निर्देश यथावत् लागू रहेंगे।

(डा0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

क्रमशः–2

Upival/Ut/Vlett-2

(231)

संख्याः 454 /XVI-2/16/01(17)/2003, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगण द्वारा निदेशक चाय विकास बोर्ड अल्मोड़ा।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्री राज्यपाल।
5. सचिव, नियोजन,उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव/अपर सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. प्रबन्ध निदेशक, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल विकास निगम, नैनीताल/देहरादून।
10. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखण्ड चौबटिया-रानीखेत।
11. निदेशक, चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा।
12. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड।
13. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
14. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
15. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
16. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उद्यान, उत्तराखण्ड शासन।
17. अध्यक्ष, भारतीय चाय बोर्ड, 14 एम0बी0टी0, सरानी मार्ग, कोलकाता।
18. सहायक निदेशक, भारतीय चाय बोर्ड, होलीडे होम,अल्मोड़ा।
19. सामान्य प्रबन्धक, चाय उत्तराखण्ड चाय विकास परियोजना, नैनीताल।
20. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
अपर सचिव।

AFW3/3/2022-XIII-3-Agriculture and Farmers Welfare Department

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–03
संख्या–I/220678/ XIII-3/24/01(17)/2003 TC
देहरादूनः दिनांक 27 जून, 2024

कार्यालय–ज्ञाप

निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा के पत्र संख्या–127 / स्था0दो0–1–6(44वीं) प्रब0का0बै0 / 2024–25, दिनांक 30 मई, 2024 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या–454/XVI-2/16/01(17)/ 2003, दिनांक 18 अप्रैल, 2016 द्वारा गठित उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड के प्रबन्ध परिषद में महानिदेशक, कृषि एवं उद्यान, उत्तराखण्ड को सदस्य नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

Signed by Vinod Kumar Suman
Date: 27-06-2024 09:54:42

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वरिष्ठ निजी सचिव–मा0 कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगण द्वारा– निदेशक, चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा।
4. अपर मुख्य सचिव / सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव / सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7. महानिदेशक, कृषि एवं उद्यान, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(विनोद कुमार सुमन)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–03
संख्याः-I/३०१२२२/XIII-3/25/04(13)2020
देहरादूनः दिनांक २९ मई, 2025

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा के पत्र संख्या– 911/ स्था0 दो0–1–6/प्रब0 परि0सद0(I)/2019, दिनांक 26 मार्च, 2025 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या –454/XVI-2/16-01(17)2003, दिनांक 18 अप्रैल, 2016 द्वारा गठित उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड के प्रबन्ध परिषद में **चीफ एडवाईजरी आफिसर, टी.आर.ए. आसाम को सदस्य नामित** किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

Digitally signed by Mahima
Date: 29-05-2025 13:50:36
(महिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. वरिष्ठ निजी सचिव–मा0 कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगण द्वारा–निदेशक, चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा।
4. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौडी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7. महानिदेशक, कृषि एवं उद्यान, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा ।
10. गार्ड फाईल।

(महिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव